

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

नाम
अहम
हुकम
में

पञ्जावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। पञ्जावली वास्ते बहस प्रपत्र दिनांक 18/3/24 को पेश हो।

पञ्जावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। पञ्जावली वास्ते बहस प्रपत्र दि. 6/5/24 को पेश हो।

पञ्जावली पेश हुई। वकील उपर। पञ्जावली वास्ते बहस प्रपत्र दिनांक 23/5/24 को पेश हो।

पञ्जावली पेश हुई। वकील उपर। पञ्जावली वास्ते बहस प्रपत्र दिनांक 11/6/24 को पेश हो।

प्ली
पेश

वकील वादी उपर। बहस वकील प्रार्थी सूनी गई। पञ्जावली का अधोपान्त अपलोड न किया गया। मूल वाद साक्ष्यवली में जोड़ा है एवं वादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य दिये बहस एवं पञ्जावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अधिकारों का हनन होना प्रतीत होते हुए भी पञ्जावली पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है जिससे प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो। अतः प्रपत्र प्रार्थी अन्तर्गत द्वारा 212 RTA के खारिज किया जाता है। पञ्जावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। कादं तामील तमकील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।